

::1::

प्ररूप 2

{ नियम 33(5) देखिए }

वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण संख्या

एक वर्ष के लिए विधिमान्य

से

तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----पुत्र श्री -----
निवासी ग्राम-----तालुक-----जिला-----राज्य-----

को वर्जीनिया तम्बाकू उगाने वाले के रूप में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 10 और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नीचे दर्शित क्षेत्र के लिए तम्बाकू बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए हैं, अर्थात:-

1. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के उपबन्धों और नियमों का पालन करेगा;
2. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित है;
3. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने की बाबत ऐसे निदेशों का, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाए, अनुपालन करेगा;
4. यह कि यदि वर्जीनिया तम्बाकू का रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला अपने स्वयं के उपयोग के लिए नर्सरी विकसित करने का प्रस्ताव करता है तो वह अनुमोदित बीजों की किस्में वीएगा और उस क्षेत्र के, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है 1/100 वें भाग से अधिक क्षेत्र में नर्सरी नहीं उगाएगा।

इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की विशिष्टियाँ:-

ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार
1.		
2.		
3.		

जोड़:

स्थान:

तारीख:

(रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)